प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

सेवा में

प्रबन्धुक
मां भगवती देवी मार्डन पब्लिक
जू० हा० स्कूल, हैबतपुर-बिसरख
गौतम बुद्ध नगर

पत्रांक 830 /जि0बे0शि0अ0/2012--13 दिनांक 31-7-12

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 14.10.11 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निदेश से मैं मां भगवती देवी मार्डन प० जू० हा० स्कूल हैबतपुर-बिसरख को तारीख 31.7.12 से 31.7.15 कक्षा 6-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है –

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और न ही उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोयायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाना।

6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

7. अध्यापकों अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं –

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल .... 800 वर्ग गज

कुल निर्मित क्षेत्र .... 500 वर्ग गज

कीडा स्थल का क्षेत्रफल .... शेष क्रीड़ा स्थल

कक्षाओं की संख्या 05

प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डार गृह के लिए कक्ष 01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय .... पृथक-पृथक

पेयजल सुविधा .... उपलब्ध है

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई .... —

बाधा रहित पहुँच .... उपलब्ध है

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास उस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	800 वर्ग/फुट
कुल निर्मित क्षेत्र	400 वर्ग/फुट
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	400 वर्ग/फुट
कक्षाओं की संख्या	1 से 5 तक कक्षाएँ
प्राध्यापक–सहकार्यालय–सह भांडागार के लिये कक्ष	03 कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	02
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है
मिड–डे मील पकाने के लिये रसोई	उपलब्ध है
बाधारहित पंहुच	है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिय किया जाता है।

11 विद्यालय को सेसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि क अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /मान्यता/ 1073 /2013-14 दिनांक 28/06/13

प्रबन्धक

माँ भगवती देवी मोर्डन पब्लिक स्कूल,
हेवतपुर, बिसरख गौतमबुद्धनगर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपको तारीख 30.10.2012 के आवेदन और उस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं उपरोक्त (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 01 से कक्षा 05 तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से तै कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सबधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी नियम 2010 (उपाबंध 1) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
   I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता ....
....उपलब्ध है..

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी विशिष्ट व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउण्टेण्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक G.JHS.08 है। कृपया इसे नोट कर लें और कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों को पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धों के शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक GPS 74 है। कृपया इसे नोट कर लें और उस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर